न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18 / 2022

GCMS NO-2022/40

प्रार्थी

वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री इस्माइल खान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान खां उम्र 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गोमट, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर।
2. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री शंकरदास उम्र 45 वर्ष जाति सिंधी निवासी व्यास कॉलोनी बिजली घर के पास पोकरण, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर फर्म मालिक) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।

:: निर्णय :: दिनांक: 18.10.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.08.2021 को 02.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर पर पहुचें निरीक्षण के दौरान मौके पर वहां श्री इस्माइल खान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान खां उम्र 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गोमट, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर कारोबार कर रहा था उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा तो उसने अपने आधार कार्ड की प्रति व खाद्य रजिस्ट्रेशन मौके पर प्रस्तुत की गई। प्रार्थी ने दुकान के निरीक्षण में एक ट्रें मे खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) रखी मिली जिसके अमानक पाये जाने का शक होने पर विक्रेता को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार की गई। जो न्याय निर्णयन

Sd/- 18/10/22

Scanned with CamScanner

आवेदन के साथ संलग्न हैं। उक्त मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) में से दो किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर विक्रेता को 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की गयी। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी ने खरीद सुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) 2 किलो ग्राम के चार भाग कर 4 बोतलों में डाल कर वास्ते परिरक्षक 40–40 बुदें फारमिलिन की डालकर बोतलों को बन्द किया तथा मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1152 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1152 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–1152 लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को श्री राजेन्द्रसिंह वाहन चालक के द्वारा दिनांक 19.08.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म नम्बर 06 की दो प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 18.08.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/16419–22 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./492/Act/2021/590 दिनांक 27.08.2021 अनुसार उक्त नमूना खाद्य पदार्थ पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) अनसेफ पाया गया जिस की व्यापारी की प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच करवाई गई जो रेफरल फूड प्रयोगशाला मैसुर मे जांच सर्टिफिकेट संख्या 86एफ/एफएसएसए/2022 दिनांक 31. 03.2022 के अनुसार नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट एवं रेफरल फूड प्रयोगशाला का जांच सर्टिफिकेट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ

Sd/ 18/10/22

Scanned with CamScanner

संलग्न है। मालिक के आधार कार्ड की प्रति हेतु पत्र लिखा जिस पर किशोर कुमार सिंधी की आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। प्रार्थी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/स्वी./एन–1152/9181 दिनांक 08.07.2022 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता श्री इस्माइल खान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान खां उम्र 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गोमट, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर व श्री किशोर कुमार पुत्र श्री शंकरदास उम्र 45 वर्ष जाति सिंधी निवासी व्यास कॉलोनी बिजली घर के पास पोकरण, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर फर्म मालिक) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर ने सबस्टेण्डर्ड मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./492/Act/2021/590 दिनांक 27.08.2021 अनुसार उक्त नमूना खाद्य पदार्थ पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) अनसेफ पाया गया जिस की व्यापारी की प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच करवाई गई जो रेफरल फूड प्रयोगशाला मैसुर मे जांच सर्टिफिकेट संख्या 86एफ/एफएसएसए/2022 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) खाद्य पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री इस्माइल खान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान खां उम्र 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गोमट, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड पोकरण, जिला जैसलमेर व श्री किशोर कुमार पुत्र श्री शंकरदास उम्र 45 वर्ष जाति सिंधी निवासी व्यास कॉलोनी बिजली घर के पास पोकरण, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (मौके पर फर्म मालिक) मैसर्स महादेव भोजनालय एवं रेस्टोरेंट जैसलमेर रोड

पोकरण, जिला जैसलमेर ने सबस्टेण्डर्ड मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) फर्म के प्रोपराईटर पर सबस्टेण्डर्ड स्तर का मिल्क केक (दूध चीनी व चांदी बर्क से निर्मित) खाद्य पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये व अप्रार्थी संख्या 02 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये कुल 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/x/22

(दाताराम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned with CamScanner